न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 155 / 2021

आरसीएमएस नं. 2021 / 155

जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा हाल मकान नम्बर 63, जगदम्बा अपार्टमेंट, सैक्टर नम्बर–13, रोहिणी, सैक्टर नम्बर–7, नरेला, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली।

–– अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वरलाल पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु0 सजना बेवा विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राकेश पुत्र विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री बेवा रामकिशन जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रामप्रताप पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. द्वारका प्रसाद पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. गौरीशंकर पि.मु. भगवाना जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर।

–– रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा
अनवान ''मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि'' प्र. सं. 29 / 2009

श्री हवा सिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट .

श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 10.10.22

1. 1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 10 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि" मुकदमा नम्बर 29/2009 प्रस्तुत कर कथन किया कि रोही मौजा भानगढ़ की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 101 तादादी 2.251 हिस्सा, 272 की 5.059 हैक्टेयर, 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल तादादी 10.876 हैक्टेयर बारानी है जिसमें वादीगण का 400 हिस्सा इकजाई खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर खरीदशुदा है शेष 460 हिस्सा इकजाई तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का शामिल खाते में है व वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड कोटिनेन्ट है व भूमि खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है व उन्हीं के हिस्से में आपसी बंटवारे में आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण के दरमियान खाता शामिल होने से आए वर्ष लगान जमा करवाने व अपनी भूमि को आधुनिक तरीके से काश्त करने, लोन आदि लेने व कृषि सुधार करने का झगड़ा बना रहता है। वादीगण के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो जेर खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें एक माईनर भी निकला हुआ है जिसमें 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की हुई है जिसकी अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि मिलनी है उसको वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन कब्जे काश्त के अनुसार कराने को कहा तो पूर्व में तो कहते रहे खाता विभाजन कब्जा काश्त व खरीदशुदा भूमि के अनुसार करवा लेंगे, मगर अब दिनांक 12.01.2009 को ग्राम भानगढ़ में खाता विभाजन करवाने से प्रतिवादीगण स्पष्ट तौर से इन्कार हो गये सो यही बिनाय मुखास्मत है। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के जरिये अनुतोष चाहा कि वाद पत्र के पैरा संख्या–2 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में से खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 5.059 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन व कब्जे काश्त व बैयनामा के अनुसार किया जाकर वादीगण के नाम अलग दर्ज की जावे व शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम अलग दर्ज की जावे। इस कदर वादीगण व प्रतिवादीगण के दरम्यान खाता विभाजन की डिक्री पारित की जावे व इसका लगान अलग अलग कायम किया जाकर हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्मन रजिस्टर्ड भिजवाये। रजिस्टर्ड डाक प्राप्त होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं आये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 कैम्प भानगढ़ में पेशी में ली जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक डिग्री दिनांक 12.11.2010 पारित की गई जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भानगढ़ तहसील भादरा के खसरा 101 की 2.251 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 की 5.059 खसरा नम्बर 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल 10.876 हैक्टेयर भूमि में 460 हिस्सा शुगनचंद, रामनिवास, रामप्रताप, द्वारकाप्रसाद पुत्रगण सांवलाराम व गौरीशंकर पि.मु. भगवानाराम खातेदार काश्तकार थे जिसमें से रामनिवास फौत हो गया। रामनिवास के वारिसान व रामप्रताप, द्वारकाप्रसाद पुत्र सावलांराम एवं गौरीशंकर पि.मु. भगवाना ने अपने हिस्से की दस्तबरदारी दिनांक 17.05.2002 को सुगनचंद पुत्र सांवलाराम के पक्ष में कर दी। अतः इस आधार पर सुगनचंद के नाम राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज हो गई व सुगनचंद ने अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 03.12.2002 को अपीलांट के पक्ष में करवाई हुई है। सुगनचंद फौत हो चुका है। मुताबिक वसीयत सुगनचंद के नाम की कृषि भूमि का अपीलांट खातेदार है। तहसीलदार भादरा द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव में सुगनचंद पुत्र सांवलाराम के कब्जा काश्त में खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 भूमि दर्शायी है तथा राजस्व अभिलेख में 5.8170 हैक्टेयर भूमि सुगनचंद पुत्र सांवलाराम के नाम से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री ज़ारी की जानी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज व विभाजन प्रस्ताव का परिशीलन किये बिना खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 तादादी 5.8170 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 व सुगनचंद के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं जो कतई गलत है जबकि रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 17.05.2002 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 ने उपरोक्त भूमि सुगनचंद को दी हुई है तथा सुगनचंद ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 03.12.2002 को रजिस्टर्ड वसीयत प्रश्नगत भूमि सहित अन्य सम्पति की अपीलांट के पक्ष में की हुई है तथा मुताबिक वसीयत अपीलांट ही खसरा नम्बर 101 की 2.251 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल 5.817 हैक्टेयर भूमि का खातेदार है। अपीलांट ने सुगनचंद के वारिसान बलवीर प्रसाद, सुरेश कुमार व इन्द्रमणी, पुष्पा, शारदा, मन्जू के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं जिसमें उन्होनें सुगनचंद द्वारा अपीलांट के पक्ष में वसीयत होने के कथनों को स्वीकार किया है तथा उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक वसीयत अकेले अपीलांट की होना स्वीकार किया है। दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व कोई सूचना व नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट ने जब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने प्रश्नगत भूमि सांवलाराम के वारिसान के नाम इसी निर्णय के आधार पर दर्ज होने के कथन किये तब अपीलांट ने अविलम्ब ही दिनांक 25.08.2021 काके अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की तब अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था इसलिए दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खसरा नम्बर 101 की 2.251 व खसरा नम्बर 355 की 3.566 हैक्टेयर कुल तादादी 5.817 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 व सुगनचंद पुत्र सांवलाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने की हद तक अपास्त किया जाकर उपरोक्त कृषि भूमि अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाए जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को शुरू से रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब रेस्पोडेंट की ओर से नहीं दिया गया अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेंट की ओर से नहीं किया गया है इस कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुणों के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार भादरा द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 101 की 2.2510 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 हैक्टेयर बारानी तादादी 5.8170 हैक्टेयर भूमि सुगनचंद वल्द सावलाराम कौम महाजन के नाम स्पष्ट उल्लेख है। रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी अपने नाम की भूमि को सुगनचंद के नाम तर्क किया हुआ है और अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.12.2002 सुगनचंद ने निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई हुई है तथा सुगनचंद की मृत्यु दिनांक 29.12.2002 को हो चुकी है। उक्त दस्तबरदारी व वसीयत के सम्बंध में रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन नहीं किया। सुगनचंद के अन्य वारिसान ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत दिनांक 03.12.2002 को सही होना स्वीकार कर उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज होने में सहमति दर्शायी है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011 में भानगढ़ के खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 व सुगनचंद वल्द सावलराम के वारिसान की हद तक अपास्त की जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 तादादी 5.8170 हैक्टेयर बारानी भूमि अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जानी न्यायोचित है तथा शेष डिक्री यथावत रहेगी।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011 में भानगढ़ के खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 व सुगनचंद वल्द सावलराम के वारिसान की हद तक अपास्त की जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 तादादी 5.8170 हैक्टेयर बारानी भूमि अपीलांट जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द जाति महाजन के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या – 155/2021

आरसीएमएस नं. 2021/155

जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा हाल मकान नम्बर 63, जगदम्बा अपार्टमेंट, सैक्टर नम्बर–13, रोहिणी, सैक्टर नम्बर–7, नरेला, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली।

–– अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वरलाल पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु0 सजना बेवा विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राकेश पुत्र विजय सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जाट साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री बेवा रामकिशन जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रामप्रताप पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. द्वारका प्रसाद पुत्र सांवलाराम जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. गौरीशंकर पि.मु. भगवाना जाति महाजन साकिन भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर।

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा
अनवान "मनीराम आदि बनाम सावित्री आदि" प्र. सं. 29/2009

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवा सिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकरअपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011 में भानगढ़ के खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 व सुगनचंद वल्द सावलराम के वारिसान की हद तक अपास्त की जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 101 की 2.2510 व खसरा नम्बर 355 की 3.5660 तादादी 5. 8170 हैक्टेयर बारानी भूमि अपीलांट जुगलकिशोर पुत्र सुगनचन्द जाति महाजन के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.X.22 को जारी की गई।

10/X/22

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)